<u>प्रेस–नोट</u>

<u>थाना बरूआसागर, झाँसी</u>

<u>दिनांक 25.03.2025</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना बरूआसागर पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर हनुमान खिरक को जाने वाली सडक के किनारे अतर सिंह के खेत के पास थाना बरुआसागर, झांसी से अभियुक्त- अशोक कुशवाहा पुत्र अतर सिंह कुशवाहा निवासी मोहल्ला लाले की टौरिया थाना बरूआसागर जिला झाँसी उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर किया गया। उसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की बोरी में 10 ली0 कच्ची शऱाब बरामद की गयी। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना बरुआसगर पर अभियुक्त- **अशोक कुशवाहा उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0-75/2025 धारा 60(1) आब0 अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना बरूआसागर जनपद झाँसी</u>

1-उ0नि0 श्री बृजेश सिंह गंगवार थाना बरुआसागर जिला झाँसी

2-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना बरुआसागर जिला झाँसी